अध्याय पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

5.2 समस्या कथन

5.3 शोध के उद्देश्य

5.4 शोध की परिकल्पनायें

5.5 शोध के चर

5.6 शोध की परिसीमायें

5.7 न्यादर्श

5.8 शोध में प्रयुक्त उपकरण

5.9 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि

5.10 अध्ययन के मुख्य परिणाम

5.11 शोध के निष्कर्ष

5.12 शैक्षिक सुझाव

5.13 भावी शोध हेतु सुझाव

अध्याय– पंचम

शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

राष्ट्र की उन्नति वहां की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था पर निर्भर करती है, चाहे वह कोई भी राष्ट्र हो, शिक्षा को उद्देश्य पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिये उसमें समयानुसार परिवर्तन आवश्यक होता है। जिसमें बालक एवं बालिकायें राष्ट्रोत्थान में अपनी भूमिका सकुशल निभा सके उसी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में (Right to Education) शिक्षा के अधिकार में 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं को दस वर्ष की अवधि में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद आज तक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये शासन ने कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाये है। उन्हीं में एक प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण का लक्ष्य पूर्ण करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कार्य प्रगति की बागडोर ऊँचे कदम पर बढ़ती जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने के लिये न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भाषा संबंधी खासकर मातृभाषा के साथ–साथ हिन्दी भाषा में भी उपलब्धि को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया है। क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों को वह भाषा के माध्यम से ही ग्रहण करता है। भाषा के बुनियादी कौशल– सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना उनकी सारी शिक्षा को प्रभावित करते है।

हमारे देश में विभिन्न पारिवारिक स्तर के व्यक्ति है। अधिकतम सामान्य परिवार के होते है, जो अपने बच्चों को सही आयु सीमा में शासन द्वारा संचालित या अशासकीय सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश

दिलाते है। उनकी रूचि बच्चों को शिक्षित करने में होती है तथा वे बच्चों को अध्ययन हेतु पूर्ण प्रेरक सहयोग प्रदान करते है और ये बच्चे सामान्य रूप से बिना किसी व्यवधान के लगातार शिक्षा ग्रहण करते हैं।

परंतु हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के व्यक्ति निवास करते है। वे सामान्य रूप से आर्थिक तंगी के कारण जीवनयापन के विभिन्न तरीकों के कारण या फिर शिक्षाके प्रति रूचि न होने के कारण अपने बालकों को सामान्यः संचालित विद्यालयों में सही आयु सीमा में प्रवेश नहीं दिलाते।

ऐसे परिवारों के बहुत से बच्चे सामान्यतः शिक्षा से वंचित हो जाते है। या फिर एक-दो वर्ष अध्ययन कर शाला त्यागी हो जाते है जिसमें बालिकाओं की संख्या अधिक होती है। वास्तव में ऐसे बच्चे किसी न किसी काम से जुड़े है यह काम आर्थिक मजदूरी भी हो सकती है या घरेलू काम या छोटे भाई-बहनों की देखभाल भी।

ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। अतः उन्हें सामान्य शाला से जोड़ने हेतु ब्रिजकोर्स योजना प्रारंभ की गई है। ऐसे परिवार के बालक एवं बालिकायें जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु उचित पारिवारिक वातावरण नहीं मिलता या उनके माता-पिता और परिवार के जीविकोपार्जन हेतु कुछ महीनों के लिये बाहर पलायन कर जाते है।

5.2 समस्या कथन

''बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर पड़नेवाले प्रभाव का अध्ययन।''

5.3 शोध के उद्देश्य

1. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

2. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
3. नाविण्यपूर्ण स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
4. जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
5. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की मौखिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
6. नाविण्यपूर्ण स्कूल में अध्ययन छात्रों की मौखिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
7. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों की मौखिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
8. बस्तिशाला में अध्ययन के बाद शिक्षा के मुख्य प्रवाह में छात्रों के ठहराव की जानकारी प्राप्त करना।
9. बस्तिशाला में से उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षा के मुख्य प्रवाह पर पड़नेवाले प्रभाव का पता लगाना।

5.4 शोध की परिकल्पनायें

1. मराठी विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
2. मराठी विषय की मौखिक उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
3. मराठी विषय की लिखित एवं मौखिक (समग्र) उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
4. गणित विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

5. मराठी विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

6. मराठी विषय की मौखिक उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

7. मराठी विषय की लिखित और मौखिक (समग्र) उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

8. गणित विषय की उपलब्धि परीक्षण में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।

5.5 शोध के चर

प्रस्तुत अध्ययन में शोध के चर निम्नलिखित है :-

1. **स्वतंत्र चर**

   अ- लिंग : छात्र-छात्रायें

   ब- विद्यालय के प्रकार : बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल
   जिला परिषद स्कूल

2. **आश्रित चर**

   अ- मुख्य प्रवाह (Main stream)

   ब- उपलब्धि (Achievement)

5.6 शोध की परिसीमायें

प्रस्तुत शोध की सीमायें निम्नलिखित है :-

1. प्रस्तुत शोध नंदूरबार जिले (महाराष्ट्र) के अक्कलकुवा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है।

2. प्रस्तुत अध्ययन प्रारंभिक स्तर तक ही सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन केवल छात्र एवं छात्राओं की मराठी और गणित विषय की उपलब्धि देखने तक ही सीमित है।
4. प्रस्तुत अध्ययन कुल 157 बस्तिशालाओं में से केवल 22 बस्तिशालाओं के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तक ही सीमित है।
5. प्रस्तुत अध्ययन कुल 69 नाविण्यपूर्ण स्कूलों (Converted School) में से केवल 18 नाविण्यपूर्ण स्कूल के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तक ही सीमित है।
6. प्रस्तुत अध्ययन कुल 10 जिला परिषद स्कूलों में केवल 07 स्कूलों के छात्रों–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तक ही सीमित है।
7. प्रस्तुत अध्ययन में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद के कुल 236 स्कूलों में से केवल 47 स्कूलों तक ही सीमित है।
8. प्रस्तुत अध्ययन में बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद के कुल 5894 छात्रों में से केवल 300 छात्रों पर ही शैक्षिक उपलब्धि सीमित है।
9. शिक्षा के मुख्य प्रवाह में भी कक्षा 1 से 10 तक के प्रभाव को न देखकर कक्षा 5,6 और 7 तक ही सीमित रखा गया है।
10. कक्षा 4 के मुख्य प्रवाह में शामिल छात्रों का केवल ठहराव, उत्तीर्ण वर्ष, उपलब्धि (Percentage) शिक्षा के मुख्य प्रभाव में भर्ती कराये गये स्कूलों के नाम तक ही सीमित रखा गया है।

5.7 न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में महाराष्ट्र राज्य के नंदूरबार जिले के अक्कलकुवा तहसील के ग्रामीण स्कूलों को लिया गया है। न्यादर्श को यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया है।

इस शोधकार्य के लिये 22 बस्तिशालाओं में से 100 छात्रों को, 18 नाविण्यपूर्ण स्कूल में से 100 और 10 जिला परिषद स्कूल में से 100 छात्रों का चयन किया गया है। जिसमें बस्तिशाला के 47 लड़के और 53 लड़कियां (कुल 100) नाविण्यपूर्ण स्कूल के 50 लड़के 50 लड़कियां (कुल 100) और जिला परिषद स्कूल के 57 लड़के 43 लड़कियां शामिल है। तीनो स्कूलों को मिलाकर कुल 152 लड़के और 148 लड़कियों का चयन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिये निम्न स्कूलों का चयन किया गया है।

1- बस्तिशाला (Bastishala)

2- नाविण्यपूर्ण स्कूल (Converted School)

3- जिला परिषद स्कूल (Z.P.)

तालिका क्रमांक 5.7.1

अनु .क्र	स्कूल का नाम	कक्षा	कुल स्कूल	कुल छात्र	लिंग		कुल	चुने गये स्कूल	प्रतिदर्श
					लड़का	लड़की			
1	बस्तिशाला	4	157	4064	47	53	100	22	100
2	नाविण्यपूर्ण स्कूल	4	69	1680	50	50	100	18	100
3	जिला परिषद स्कूल	4	10	150	57	43	100	07	100

5.8 शोध में प्रयुक्त उपकरण

अनुसंधान में नवीन तथ्य संकलित करने हेतु अथवा नवीन क्षेत्र का उपयोग करने हेतु परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इन्हीं यंत्रों को उपकरण कहते है।

कक्षा-4 के विद्यार्थियों की मराठी और गणित विषय की उपलब्धि परीक्षण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ

शिक्षा के मुख्य प्रवाह में कितने छात्रों को आज तक (वर्ष 2005 से 2008 तक) भर्ती कराया गया है?उसे देखने के लिये भी स्वनिर्मित प्रगतिकार्ड प्रपत्र (Progress Chart of Main Stream) का प्रयोग किया गया है।

प्रश्नावली एवं प्रगति कार्ड को विषय विशेषज्ञों, विषय शिक्षक एवं मार्गदर्शक द्वारा प्रमाणित (Certified) किया गया है।

5.9 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी विधि

शोध कार्य से संबंधित प्रदत्तो के सारणीयन करने के बाद उचित परिणाम प्राप्त करने के लिये उपयुक्त सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जिससे निष्कर्षो तथा परिणामों की विश्वसनीय रूप से व्याख्या की जा सके। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में प्रदत्तों के विश्लेषण के लिये मध्यमान (M) प्रमाण विचलन (SD) टी परीक्षण ('t' Test) प्रसरण विश्लेषण ('F' test) का उपयोग किया गया है। शिक्षा के मुख्य प्रवाह को विश्लेषित करने के लिये मध्यमान (M) सहसंबंध (Correlation) और 'टी' परिक्षण ('t' test) का उपयोग किया गया है।

5.10 अध्ययन के मुख्य परिणाम

1. मराठी विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
2. मराठी विषय की मौखिक उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
3. मराठी विषय की लिखित एवं मौखिक (समग्र) उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर नहीं है।
4. गणित विषय की लिखित उपलब्धि परीक्षण में छात्रों एवं छात्राओं में सार्थक अंतर है।

5. बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के बीच मराठी लिखित उपलब्धि परीक्षण में सार्थक अंतर है।

6. बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के बीच मराठी मौखिक विषय की उपलब्धि परीक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।

7. बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के बीच मराठी लिखित और मौखिक उपलब्धि परीक्षण में सार्थक अंतर पाया गया है।

8. बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल और ज़िला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के बीच गणित विषय की उपलब्धि परीक्षण में सार्थक अंतर पाया गया है।

5.11 शोध के निष्कर्ष

बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल तथा जिला परिषद स्कूल के मध्य उपलब्धि परीक्षण में सार्थक अंतर है। बस्तिशाला के छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि देखकर हमें ऐसा लगता है कि, मराठी विषय की लिखित और मौखिक परीक्षण में वे अन्य स्कूलों के छात्रों से बराबरी कर सकते है। लेकिन गणित विषय की उपलब्धि परीक्षण में उनमें थोड़ा–सा अंतर पाया जाता है। कारण शायद उन्हें जो मूलभूत सुविधायें (Basic Facilities) मिलनी चाहिये वो नहीं मिल पा रही है और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा के लिये जो उचित वातावरण मिलना चाहिये वो भी नहीं मिल पा रहा है। अपने बच्चों को अधिगम में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों को दूर करने में शायद उनके माता–पिता असमर्थ है। क्योंकि कतिपय छात्रों के माता–पिता अनपढ़ है। इसलिये गणित विषय में थोड़ा पीछे रह गये है।

नाविण्यपूर्ण स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि जिला परिषद में अध्ययनरत छात्रों की अपेक्षा कुछ कम है, लेकिन फिर भी उनकी उपलब्धि में थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलता है, जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी है। जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की अपेक्षा बस्तिशाला और नाविण्यपूर्ण स्कूल के छात्रों में अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर उनके पारिवारिक परिवेश, शैक्षिक वातावरण, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति के कारण भी हो सकता है। बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल एवं जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक, सामाजिक तथा भावनिक स्थिति में फरक होने के कारण तीनों के शैक्षिक उपलब्धि में अंतर पाया गया है।

5.12 शैक्षिक सुझाव

प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से शोधकर्ता ने नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा (महाराष्ट्र) के बस्तिशाला, नाविण्यपूर्ण स्कूल एवं जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण तथा बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में कितने छात्रों को भर्ती कराया गया। साथ ही भर्ती कराये गये स्कूलों में उनके ठहराव एवं वहां की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया है। अतः शोधकार्य से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं :-

1. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्र एवं छात्रायें दुर्गम तथा अतिदुर्गम हिस्सों के है। जहां पर 1 या 2 कि.मी. की दूरी पर जिला परिषद प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहां के बच्चों को शिक्षित करने के लिये अधिक से अधिक बस्तिशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि इस देश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पायें।

2. बस्तिशाला और नाविण्यपूर्ण स्कूल में जो शिक्षक नियुक्त किये गये हैं, उनको पर्याप्त मानदेय (Honorarium) देना चाहिये और साथ ही साथ मानदेय समय–समय पर मिलना चाहिये।
3. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्रों को समाज, परिवार से सकारात्मक पुर्नबलन मिलना चाहिये, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च हो सके।
4. बस्तिशाला में अध्यापन हेतु जहां तक हो सके महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चहिये, जिससे छात्रों को विद्यालय में घर जैसा स्नेहिल वातावरण मिल सकें।
5. बस्तिशाला में नियुक्त किये गये शिक्षकों के पास शिक्षणशास्त्र पदविका (D.Ed.) की उपाधि होना आवश्यक है,ताकि छात्रों को विषयवस्तु पढ़ाते समय मदद मिलें।
6. बस्तिशाला में 1 से 4 तक के वर्गो को एक ही शिक्षक अध्यापन करता है। एक शिक्षक के जगह पर कम से कम दो शिक्षकों को नियुक्त करना आवश्यक है।
7. बस्तिशाला में छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण एवं विश्वसनीय वातावरण बनाने का प्रयास करें। जिससे छात्र निर्भिकतापूर्वक अपनेपन के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें।
8. बस्तिशाला में अध्यनरत छात्रों का पारिवारिक स्तर सामान्य से कम होता है। अतः उनकी पूर्ति हेतु उक्त स्कूल के शिक्षक छात्रों को विद्यालय में नियमित तथा अधिक समय तक उपस्थित रखें, जिससे उनके पारिवारिक वातावरण की कमी की पूर्ति की जा सके। साथ ही छात्रों के शिक्षण के साथ–साथ उनकी नैतिक गतिविधियों पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
9. बस्तिशाला में से जो छात्र उत्तीर्ण होते है, उन छात्रों के मुख्य प्रवाह में भर्ती कराने की पूरी–पूरी जिम्मेवारी बस्तिशाला के शिक्षक की होती है। अतः उन छात्रों को शिक्षा के मुख्य प्रवाह में भर्ती कराया

जाये और साथ ही समय-समय पर उनके बारे में आवश्यक जानकारी रखें।

10. छात्रों को अच्छे कार्य के लिये प्रशंसा व प्रोत्साहन देकर छात्रों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिये।
11. बस्तिशाला में रूचिपूर्ण वातावरण बनाये रखें ताकि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने हेतु स्वयं प्रेरित हो।
12. बस्तिशाला को कक्षा-4 तक सीमित न रखकर उसे क़क्षा-8 तक बढ़ा देना चाहिये।
13. बस्तिशाला मे कार्यरत शिक्षकों को समय-समय पर मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देते रहना चाहिये।
14. बस्तिशाला में भौतिक सुविधाओं की कमियों को दूर करना चाहिये।
15. ग्रामीण भागों के माता-पिता विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिये सजग नहीं है। इसलिये शिक्षकों को उनको सजग करना चाहिये।
16. शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों के विषय-वस्तु पर नहीं बल्कि भाषा, गणित, पर्यावरण आदि विषय वहां के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिये।
17. छात्रों को अधिक से अधिक क्रियात्मक रखना चाहिये।
18. छात्रों को किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है, तो उनकी मातृबोली में समझाना चाहिये।
19. छात्रों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति के अवसर दिये जाये।
20. कमजोर विद्यार्थियों के लिये ज्यादा समय देने की व्यवस्था की जाये।
21. खेल-खेल में शिक्षा देकर उनको प्रोत्साहित किया जायें।
22. ग्रामीण (अंचलों) भागों में छात्रों की मातृबोली में भी पढ़ने/पढ़ाने की छूट देनी चाहिये।

5.13 भावी शोध हेतु सुझाव

1. सामान्य विद्यालय तथा बस्तिशाला एवं नाविण्यपूर्ण स्कूल के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर विद्यालय के वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
2. सामान्य विद्यालय तथा बस्तिशाला के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
3. बस्तिशाला में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की शाला में उपस्थिति पर विद्यालय के वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
4. न्यादर्श का आकार बढ़ाकर भविष्य में इस विषय पर शोध कार्य किया जा सकता है।
5. बस्तिशाला एवं नाविण्यपूर्ण स्कूल में उपस्थिति का शिक्षा में रूचि का अध्ययन किया जा सकता है।
6. बस्तिशाला के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को 'उपलब्धि अभिप्रेरणा' किस प्रकार प्रभावित करती है, इस विषय पर अध्ययन किया जा सकता है।
7. बस्तिशाला के कार्यक्रमों का विस्तार से केसस्टडी के रूप में अध्ययन किया जा सकता है।
8. शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण सभी विषयों में किया जा सकता है।